विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-22/14

श्री पुष्पदंत सागर उज्जैन न्यास, — **आवेदक**
पुष्पगिरी तीर्थ रालापिपलिया,
सोनकच्छ, जिला – देवास (म.प्र.)
पिन कोड – 455118

विरूद्ध

चीफ इंजीनियर,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.) – 456006

— **अनावेदकगण**

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
देवास (म.प्र.) – 455001

आदेश
(दिनांक 16.12.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0276814 पुष्पदंत सागर दिगम्बर जैन न्यास विरूद्ध मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) मप्रपक्षेविविकंलि, उज्जैन तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2014 से व्यथित होकर आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपभोक्ता ने अपने परिसर में 23.07.12 से 40 के.वी. का विद्युत भार निम्न दाब संयोजन हेतु प्राप्त किया था, जिसकी बिलिंग तत्समय प्रभावी एलवी – 1 टैरिफ के अन्तर्गत की जाती थी । उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब संयोजन की मांग मार्च 11 में की गई थी, उसे जुलाई 2012 में 33 के.व्ही. सप्लाय वोल्टेज पर उच्चदाब का संयोजन प्रदान किया गया था । उभय पक्ष के मध्य इस प्रयोजन हेतु जो संविदा की गई थी उसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि उपभोक्ता पर एच. वी. 3.2 टैरिफ लागू होगा और इसी के अनुसार उसकी बिलिंग की जाएगी । उपभोक्ता की आपत्ति यह है कि उसकी संस्था पूर्ण रूप से पारमार्थित है और संस्था द्वारा किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जाती है । संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के तहत आयकर में छूट प्राप्त हैं ।

उसे अस्पताल के निर्माण तथा विदेशियों से दान आदि प्राप्त करने में भी छूट प्राप्त है । न्यास द्वारा सामान्य लोगों के हितों के लिए कार्य किया जाता है । किसी भी घरेलू उपभोक्ता द्वारा एच.टी. में विद्युत संयोग नहीं लिया जाता है, अतः उसके परिसर में विद्युत का मिक्स लोड़ मानना उचित नहीं है । उस पर अनावेदक विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ की जो श्रेणी अधिरोपित की गई है वह उचित नहीं हैं, उसे टैरिफ एच.वी. 6.2 की परिधि में माना जाना चाहिए तथा उसी अनुसार उससे बिलिंग की जाना चाहिए ।

3. अनावेदक ने उपभोक्ता के आवेदन का विरोध इस आधार पर किया था कि उपभोक्ता को जानकारी देने के बाद ही उसे टैरिफ श्रेणी एच.वी. – 3.2 श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया था तथा उपभोक्ता ने सहमति देकर अनुबंध पत्र में हस्ताक्षर किए थे । उपभोक्ता द्वारा जिन प्रयोजनों के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है उसके अनुसार वह टैरिफ एच.वी. 3.2 के अन्तर्गत आता है । उस पर एच.वी. 6.2 श्रेणी में वर्णित टैरिफ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एच.वी. 6.2 टैरिफ आदेश में बताए अनुसार उपभोक्ता रजिस्टर्ड को–आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी एवं एकल घरेलू उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है ।

4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता को एच.वी. 3.2 श्रेणी में दिया गया विद्युत संयोजन उचित है । उपभोक्ता द्वारा श्रेणी में परिवर्तन किए जाने की मांग उचित नहीं है ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने उपभोक्ता की ओर से वर्णित तथ्य पर विचार किए बिना आदेश दिया है, अतः फोरम का आदेश निरस्त किया जाकर उसके टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन किया जाना उचित होगा ।

6. इस मामले में मुख्य विवाद टैरिफ आदेश की व्याख्या तथा प्रायोजिता के संबंध में हैं, अतः प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या ऐसे विवाद का निराकरण करने का अधिकार फोरम या विद्युत लोकपाल को है ?।

7. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो टैरिफ आदेश समय–समय पर जारी किए गए हैं तथा जो आदेश उपभोक्ता के लिए प्रयोज्य हैं उस टैरिफ अनुसूची – एच.वी. 3 के टैरिफ क्रमांक एच.वी. 3.2 के प्रावधान इस प्रकार हैं :–

> **"The tariff HV-3.2 (Non Industrial) shall apply to establishments like Railway Stations, Offices, Hotels, Hospitals, Institutions etc. (excluding group of consumers) having mixed load for power, light and fan etc. which shall mean and include all energy consumed for lighting in the offices, stores, canteen, compound lighting etc. This shall also cover all other categories of consumers, defined in LT non-domestic category subject to the condition that the HT consumer shall not redistribute/sub-let the energy in any way to other person."**

8. उपभोक्ता के कथन अनुसार उस पर टैरिफ अनुसूची एच.वी. 6 में वर्णित टैरिफ श्रेणी एच.वी. 6.2 के प्रावधान लागू होना चाहिए । एच.वी. 6.2 के प्रावधान इस प्रकार है :–

> **"The tariff category HV-6.2 is applicable for supply to Registered Cooperative Group Housing Societies as per the Ministry of Power notification no. S.O.798 (E) dated 9th June, 2005 and also to other Registered Group Housing Societies and individual domestic user. The Terms and Conditions to this category of consumers shall be applicable as per the provisions in section 4.77 to 4.95 (both inclusive) of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2004 as amended from time to time."**

9. एच.वी. 3.2 में उपभोक्ताओं की श्रेणी का जो विवरण दिया गया है उसके अनुसार रेलवे स्टेशन, कार्यालय, होटल, शासकीय अस्पताल वगैरह के अतिरिक्त ऐसे सभी उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है जो निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी में परिभाषित हैं ।

10. टैरिफ अनुसूची एल.वी. 2 की श्रेणी 2.1 तथा 2.2 में उपभोक्ताओं का जो विवरण दिया गया है उस विवरण में धार्मिक न्यास नहीं आता है अर्थात् धार्मिक न्यास गैर घरेलू श्रेणी में परिभाषित उपभोक्ता की परिधि में नहीं आता है ।

11. टैरिफ आदेश की टैरिफ अनुसूची एच.वी. 3.2, 6.2 तथा एल.वी. 2 का अवलोकन करने से उक्त टैरिफ अनुसूची में वर्णित उपभोक्ताओं की परिधि में आवेदक/उपभोक्ता नहीं आता है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर कौन–सा टैरिफ लागू होगा ।

12. यहां इस तथ्य का पुनः उल्लेख किया जाना उचित होगा कि उपभोक्ता तथा विद्युत प्रदाता अर्थात् अनावेदक के मध्य विद्युत प्रदान के संबंध में जो संविदा हुई थी उस संविदा में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उपभोक्ता पर टैरिफ श्रेणी एच.वी. 3.2 (गैर औद्योगिक) के प्रावधान लागू होंगे तथा इसी के अनुसार उससे टैरिफ वसूल किया जाएगा । उपभोक्ता ने संविदा की वैधता को चुनौती नहीं दी हैं उसने केवल टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन की मांग की है ।

13. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए जो टैरिफ आदेश जारी किया गया है उसमें वर्णित **(उच्च दाब विद्युत दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें)** की कण्डिका 1.23 के प्रावधान इस प्रकार है :–

> ''इस विद्युत दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/और/या विद्युत दर (टैरिफ) की प्रायोजिता के संबंध में किसी विवाद होने की दशा में आयोग का निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा'' ।

14. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के उक्त प्रावधान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि टैरिफ आदेश की व्याख्या प्रायोजिता के संबंध में विवाद होने की दशा में आयोग का निर्णय ही अन्तिम तथा बाध्यकारी होता है इस मामले में उपभोक्ता ने टैरिफ आदेश की व्याख्या तथा

प्रायोजिता का विवाद किया है, ऐसी स्थिति में इस विवाद का निराकरण फोरम तथा विद्युत लोकपाल द्वारा नहीं किया जा सकता है अपितु इस विवाद का निवारण आयोग द्वारा ही किया जा सकता है ।

: निष्कर्ष :

15. उपरोक्त विवेचन से यह साबित होता है कि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विद्युत प्रदाय के संबंध में जो संविदा हुई थी उस संविदा में वर्णित टैरिफ के अनुसार ही उपभोक्ता से टैरिफ वसूल किया जा रहा है । उपभोक्ता की आपत्ति यह है कि संविदा में जिस टैरिफ का विवरण दिया गया है वह टैरिफ उस पर लागू नहीं होता है अर्थात् उस पर टैरिफ आदेश के एच.वी. 3.2 का टैरिफ लागू नहीं होना चाहिए अपितु एच.वी. 6.2 का टैरिफ लागू होना चाहिए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता किस श्रेणी के उपभोक्ता की परिधि में आता है और उस पर कौन–सा टैरिफ लागू होगा इस तथ्य का विनिश्चिय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही किया जा सकता है । टैरिफ आदेश की व्याख्या तथा प्रायोजिता के संबंध में निष्कर्ष देने का अधिकार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल को नहीं है, अतः उपभोक्ता से संविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार टैरिफ वसूल किए जाने के कारण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उसकी शिकायत को निरस्त किये जाने का जो आदेश दिया है उस आदेश में किसी तरह की अवैधानिकता का होना नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

16. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल